

12/16

संचिका संख्या:-अ0पा0-29/2019

बिहार सरकार

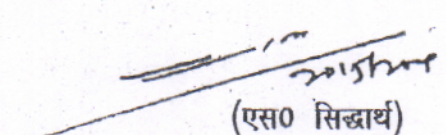
वित्त विभाग

संकल्प

राज्य के विभागों के अन्तर्गत चलाए जानेवाले विभिन्न तरह के स्कीमों के Financing हेतु आंतरिक (नाबार्ड एवं अन्य) एवं वाह्य * (विश्व बैंक, ए0डी0बी0, एन0डी0बी0 एवं अन्य) स्रोतों से ऋण प्राप्त किए जाते हैं। विभागों द्वारा ऐसे मामलों में प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव वित्त विभाग के माध्यम से संबंधित वित्तीय संस्थाओं को भेजे जाते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक Screening Committee गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति इस प्रकार होगी :-

- | | |
|---|--------------|
| (i) विकास आयुक्त | - अध्यक्ष |
| (ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | - सदस्य सचिव |
| (iii) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | - सदस्य |
| (iv) प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग | - सदस्य |
| (v) प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यकारी एजेंसी | - सदस्य |

आन्तरिक एवं वाह्य स्रोतों से ऋण प्राप्त कर क्रियान्वित की जानेवाली परियोजनाओं के प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव (PPR) विभागों द्वारा सर्वप्रथम Project Screening Committee के समक्ष रखा जायेगा। Project Screening Committee द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव (PPR) को वित्त विभाग के माध्यम से विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए संबंधित वित्तीय संस्थाओं को भेजा जाएगा।


 (एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-अ0पा0-29/2019 - 525 पटना, दिनांक- 20/05/2019
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त के प्रधान
आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव(व्यय) के
आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-अ0पा0-29/2019 - 525 मुख्य पटना, दिनांक- 20/05/2019
प्रतिलिपि:- सभी विभागों के अपर सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त
सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-अ0पा0-29/2019 - 525 पटना, दिनांक- 20/05/2019
प्रतिलिपि:- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को वित्त विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव